

प्रेषक:

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव,
उम्प्रो शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उम्प्रो, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक १५ अक्टूबर, 2012

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में आईएच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान सं०-३७ से द्वितीय / अंतिम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रोंक-५९(६)/पीएफ-१/२०११-१६९४, दिनांक 28.०३.२०१२ द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-१२०९/७६/एक/आईएच०एस०डी०पी०/२०१२-१३, दिनांक ११ जुलाई, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि आईएच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-पीलीभीत की निकाय-न्यूरिया की ८८६ आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ष के ७८५ आवासों की ०१ परियोजना के लिये रु० 2247.71 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-३७ से निम्नलिखित तालिका के स्तरम्-६ में अंकित केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रु० ९,८६,२४,०००.०० (रुपया नौ करोड़ छियासी लाख चौबीस हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि शासनादेश संख्या-१५७५/६९-१-१०-०७(बजट) / २०१०, दिनांक २३ जुलाई, २०१० द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	उपर्युक्त/ परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल प्रभिकरण लागत।	समान्य वर्ष के लामार्थीयों के आवासों की संख्या।	समान्य वर्ष के लामार्थीयों द्वारा वित्तीय/अंतिम किश्त की स्वीकृति हेतु प्रत्यावित धनराशि अवस्थापना सुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)
1	2	3	4	5	6
१.	पीलीभीत/ न्यूरिया	८८६	२५३६.९०	७८५	९८६.२४
	योग				९८६.२४

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना राज्यव्यापी प्रतिकारदाता का उपर्युक्त स्तरीय नियन्त्रकरण करायकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित गणप्रभित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सर्वन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उम्प्रो, लखनऊ कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उम्प्रो, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाँकचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

6. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाचिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु०-२ के शासनादेश संख्या-बी-२-२९८/दस-२०१२-२४४/२०११, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-३/४ का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगित प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायें।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. कार्यालयी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व ए०ए०ए०ए०ए० (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-१८१३/६९-१-०७-१४(१०२)/०७, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-१४४७/६९-१-१०-१४(१०२)/०७, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगान सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कांड में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-३७ के अंतर्गत लेखा शीर्षक "४२१७-शहरी विकास एवं पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-६०-अन्य शहरी विकास योजनाये-०५१-निर्माण-०३-इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड रैम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम" (के.८०/रा.२०-के.रा.)-३५-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पा० संख्या-ई-८-१६०७/दस-२०१२, दि० १७.१०.२०१२ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

नवदीय,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- १६११ (१)/६९-१-१२-७(बजट)/२०१०, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
 2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
 3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, पीलीभीत।
 4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१ को केन्द्रीय प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-५९(६)/पी०एफ०-१/२०११-१६९४, दिनांक 28.03.2012 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 5. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-२/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८
 6. नियोजन अनु०-४/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
 7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 8. ✓ सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभासीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
 9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
 10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

अक्षय से,

(आर०पी० सिंह)
उपसचिव।